6. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को किराये पर दिये गये भवन में अपने उपयोग हेतु बिजली, पानी की व्यवस्था प्रथम पक्ष करेगा ।

7. यह कि प्रति वर्ष 10 प्रतिशत किराया बढोतरी की जावेगी ।

8. यह कि निर्धारित अवधि 5 वर्ष में भवन खाली नहीं करने पर 500/– रूपये प्रति दिन किराये के अतिरिक्त पेलेन्टी देनी होगी ।

आज दिनांक 16.05.2014 को द्वितीय पक्ष भवन मालिक ने प्रथम पक्ष किरायेदार ने परस्पर सहमति एवं बिना किसी नशे पते के रूबरू गवाहान के समक्ष बिना किसी दबाव के इस किरायेनामे को लिखवाकर पढ सुनकर सही होना मानकर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा दिनांक 01.04.2014 को द्वितीय पक्ष ने गवाहो के समक्ष ही उक्त वर्णित भवन का कब्जा प्रथम पक्ष को सौंप दिया है। गवाही गवाहान करवादी है जो सही है सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

शान्ती देवी

हस्ता. द्वितीय पक्ष भवन मालिक

ATTESTED 16.5.14
D.K. JAIN, NOTARY
NAINWAN Distt. Bundi (Raj.)

हस्ता. प्रथम पक्ष किरायेदार

गवाह–

1. बेजनाथ आ. सोमलाल निवासी नैनवां जिला बून्दी

2. बद्रीलाल आ. देवीलाल निवासी नैनवां जिला बून्दी

SWORN AND SOLEMNLY AFFIRMED BE TRUE BEFORE ME HENCE ATTEST 16.5.14
DEVENDRA KUMAR JAIN, NOTARY
NAINWAN DISTT. (BUNDI-RAJ.)

Drafted By
16/5/2014

NOTARY GOVT. RAJ
D.K.JAIN
NOTARY
NAINWAN
Bundi-Raj
Reg No

TEN RUPEES
SPECIAL ADHESIVE

NOTARIAL NOTARIAL

D.K. JAIN NOTARY

2 APR 2014

नो०रजि०क्र० 2784
दिनांक 16.5.14

<u>किरायानामा</u>

यह किरायानामा आज दिनांक 16.05.2014 को स्थान नैनवां जिला बून्दी में सम्पादित हो रहा है जिसमें प्रथम पक्ष श्री दिग्विजय नारायण आयु 33 वर्ष जाति ऐरवाल (सचिव) श्री नारायण सेवा समिति बून्दी रोड़ नैनवां जिला बून्दी राज. जिसे आगे चलकर किरायेदार के नाम से संबोधित किया गया है। एवं द्वितीय पक्ष श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री बद्रीलाल वर्मा जाति ऐरवाल आयु 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 16 नैनवां जिला बून्दी राज. जिसे आगे चलकर भवन स्वामी के नाम से सम्बोधित किया गया है के मध्य निम्नलिखित शर्त पर निष्पादित किया गया है–

1. यह कि द्वितीय पक्ष के स्वामित्व में एक भवन जो कि बून्दी रोड़ नैनवां पर पंचायत समिति से आगे वार्ड नं. 16 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. में उत्तर से दक्षिण 60 फुट व पूर्व से पश्चिम 105 फुट भूखण्ड पर भवन स्थित है। इस भवन में से किराये पर लिये गये कमरो की स्थिति निम्नलिखित है– ग्राउण्ड फ्लोर पर पांच कमरे कमश साईज 13.70, 19.04,, 6.73, .47, व 4.18 एसक्वायर मीटर लेब कमश 98.19 व 98.47 स्क्वायर मीटर बरामदा बाहर 36.53 स्कवायर मीटर एवं बरामदा अन्दर कमश 24.06 स्क्वायर मीटर व 43.89 स्क्वायर मीटर तथा प्रथम मंजिल पर पांच कमरे कमश 30.47, 39.59, 18.20, 19.92 व 24.58 स्क्वायर मीटर तथा बरामदा 68.65 स्क्वायर मीटर व दो लेटरिंग व दो बाथरूम सहित कुल क्षेत्रफल 555.67 स्क्वायर मीटर स्थित है।

यह कि दिनांक 01.04.2014 से द्वितीय पक्ष भवन स्वामी ने उक्त पेरा एक में वर्णित अपना भवन प्रथम पक्ष को किराये पर 35,000/– रूपये अक्षरे पैतीस हजार रूपये प्रतिमाह से अगले 5 वर्ष के लिए देना तय किया है।

3. यह कि उक्त भवन को औद्योगक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) व अन्य कार्यो हेतु उपयोग में लें सकते है।

4. यह कि यह भवन सभी प्रकार के ऋण, बंधक एवं भार से मुक्त है तथा द्वितीय पक्ष इस भवन किराये पर देने का विधिक अधिकार रखता है।

5. यह कि यदि प्रथम पक्ष को सेन्टर के लिए कोई स्थाई या अस्थाई निर्माण करवाना हो तो द्वितीय पक्ष की सहमति से करवाया जा सकेगा।

SWORN AND SOLEMNLY AFFIRMED BE TRUE BEFORE ME HENCE ATTEST.
16.5.14
DEVENDRA KUMAR JAIN, NOTARY NAINWAN DISTT. (BUNDI-RAJ.)

ATTESTED
16.5.14
D.K. JAIN, NOTARY
NAINWAN Distt. Bundi (Raj.)

शा-ती देवी

क्रमश–2